

वर्ष 2025-26 हेतु समझौता ज्ञापन	
सीपीएसईसीपीएसई एवं प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग	
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	खान मंत्रालय

सूक्ष्म- समेकित

उद्देश्य, जवाबदेही एवं शासी रूपरेखा-

सीपीएसई के प्रदर्शन आंकलन हेतु डीपीई के समझौता ज्ञापन अनुसार

वर्ष 2025-26 हेतु प्राचल अनुसार वार्षिक लक्ष्य

भाग-1 मुख्य प्राचल

क्रमांक	प्राचल	ईकाई	भारांक	लक्ष्य 2025-26
1	परिचालन से प्राप्त राजस्व	राशि करोड़ में	10	2600
2	सांद्रक में धातु का उत्पादन	एमटी	25	35500
3	पूंजीगत व्यय	राशि करोड़ में	10	350
4	ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पूर्व की आय (ईबीआईटीडा) (कुल आय के प्रतिशत के रूप में)	%	10	37.98
5	निवल मूल्य पर वापसी	%	15	24.58
6	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	05	70.74
7	जैम के माध्यम से क्रय (कुल क्रय के प्रतिशत के रूप में)	%	02	95
8	आर एंड डी पर कुल व्ययव्यय (नवाचार पहलों को सम्मिलित करते हुये, गत 3 वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के औसत के प्रतिशत के रूप में)	%	08	02.00
9	हितधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100
योग			100	

समझौता ज्ञापन

भाग-2 अनुपालन प्राचल

क्र	प्राचल	अंक	स्रोत / सत्यापन
1	डीपीई निर्देशों के अनुसार सीएसआर व्यय	-1	प्रशासनिक मंत्रालय बोर्ड संकल्प / वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, एवं डीपीई की

			सीएसआर सैल से प्राप्त इनपुट अनुसार
2	कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी अधिनियम 2013 में किये गए प्रावधान (अथवा अनुसूचित ईकाईयों हेतु सेबी (एलओडीआर) के नियमानुसार)- अ. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन ब. बोर्ड समितियां स. बोर्ड एवं समितियों का आयोजन द. संबंधित पक्षों का संव्यवहार इ. प्रकृतिकरण एवं पारदर्शिता	-3.0	कैम / वैधानिक / सचिवालयीन अंकेक्षण प्रतिवेदन / वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	समस्त सीपीएसई का प्रचलित टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग	-0.5	एमएमएसएमई संबंध / टीआरईडीएस पोर्टल्स
4	एमएसईडी अधिनियम के अनुसार एमएसई वेण्डर्स को समय पर भुगतान	-3.0	एमएमएसएमई समाधान/ टीआरईडीएस पोर्टल्स/ वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय/ अन्य प्रमाणित स्रोत
5	माल एवं सेवाओं का क्रय (कुल क्रय के प्रतिशत के रूप में) अ. कुल एमएसई - 25% ब. अजा. व अजजा. स्वामित्व वाली एमएसई - 4% स. महिला स्वामित्व वाली एमएसई - 3%	-2	एमएमएसएमई संबंध / वार्षिक प्रतिवेदन / पीई सर्वेक्षण
6	स्वास्थ्य एवं सीपीएसई में मानव संसाधनों की सुरक्षा सुधार हेतु किये गए उपाय एवं पहल	-1	बोर्ड संकल्पों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)
7	एमसीए की पीएम प्रशिक्षण योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य	-1	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय एवं/या बोर्ड संकल्पों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय / वार्षिक प्रतिवेदन (सहभागी कंपनियों के रूप में भाग लेने वाली सीएसपी पर लागू)
8	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	-1	डीपीई के संबंधित विभागों से प्राप्त इनपुट एवं / या प्रशासनिक मंत्रालय
9	गैर-कोर अधिशेष परिसंपत्तियां	-1	प्रशासनिक मंत्रालय की योजना में निर्धारित समय-सीमा अनुसार डीपीई द्वारा

समझौता ज्ञापन

### टिप्पणी-

- I. अनुमानित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित लक्ष्य, अंकेक्षित आंकड़ों की प्राप्ति उपरान्त डीपीई द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं।
- II. प्राचलों (अपवाद- हानि / व्यय में कमी) का आंकलन लक्ष्यों की 50% से 100% के मध्य उपलब्धियों की समानुपातिक मार्किंग के आधार पर किया जावेगा। 50% से कम की उपलब्धियों पर स्कोर शून्य रहेगा, प्राचल हितधारकों को कुल की गई वापसी को छोड़कर, अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न किया जाये।
- III. कुल अंक निर्धारित प्राचलों के अनुपालन पर निर्भर होंगे। अनुपालन न करने पर कुल अंक कम किये जायेंगे, यथासूचित, बिना किसी पक्षपात अथवा समानुपातिक कमी के।
- IV. विनिमय दर में परिवर्तन, कच्चे माल की नियमित कीमत अथवा अंतिम उत्पाद अथवा मार्जिन में कमी अथवा अन्य किसी कारण से लक्ष्यों / उपलब्धियों में किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जावेगा।

- V. पूंजीगत व्यय लक्ष्यों का निर्धारण बजट व्यय प्रोफाइल के सट्टेमेंट 26 (सार्वजनिक ईकाईयों में निवेश) अनुसार है। पूंजीगत व्यय के पुनरीक्षित आंकलन को अंतिम लक्ष्य मानते हुये उपलब्धियों का आंकलन एवं अंकों का निर्धारण किया जायेगा, जो कि न्यूनतम 100 अंकों अंतर्गत होगा।
- VI. हितधारकों को कुल वापसी का लक्ष्य 100 प्रतिशत है, जिसका आंकलन एमओयू के निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आंकलित बेंचमार्क के अनुसार किया जावेगा।

हस्ताक्षर एवं दिनांक

सीएमडी / एमडी  
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

सचिव  
खान मंत्रालय